



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-12122023-250460
CG-DL-W-12122023-250460

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 46] नई दिल्ली, नवम्बर 26—दिसम्बर 2, 2023, शनिवार/ अग्रहायण 5—अग्रहायण 11, 1945
No. 46] NEW DELHI, NOVEMBER 26—DECEMBER 2, 2023, SATURDAY/AGRAHAYANA 5—AGRAHAYANA 11, 1945

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 23 नवम्बर, 2023

सा.का.नि. 184.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और अन्वेषक (सांप्रदायिक सद्भावना) गृह मंत्रालय भर्ती नियम, 1984 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है, या करने का लोप किया गया है, गृह मंत्रालय में अन्वेषक (सांप्रदायिक सद्भाव प्रकोष्ठ) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय, अन्वेषक (सांप्रदायिक सद्भाव प्रकोष्ठ) भर्ती नियम, 2023 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर-** पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि-** भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता -** वह व्यक्ति -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, या

(ख) जिसने अपने पति या पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति -** जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां पर वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति -** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किये गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद या अचयन पद	सीधी भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
अन्वेषक (सांप्रदायिक सद्भाव प्रकोष्ठ)।	01* (2023) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (35400 - 112400 रु)	लागू नहीं होता।	30 वर्ष से अधिक नहीं। (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार विभागीय अभ्यर्थियों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)। टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी, न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, लाहौल और स्पीति जिले और हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के पांगी उपखंड तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लद्दाख और लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्रों में रहने वालों के लिए विहित की गई है।

सीधी भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।	सीधी भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हता प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं :	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(7)	(8)	(9)	(10)
<p>(क) आवश्यक: किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से स्नातक की डिग्री।</p> <p>(ख) वांछनीय:</p> <p>(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से समाजशास्त्र या सामाजिक कार्य या मानव विज्ञान या अर्थशास्त्र या भूगोल या गणित या सांख्यिकी के साथ मास्टर या स्नातक डिग्री;</p> <p>(ii) सरकारी विभागों में सांख्यिकीय डेटा के प्रसंस्करण और विश्लेषण में दो वर्ष का अनुभव या सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण या अध्ययन करने में दो वर्ष का अनुभव;</p> <p>(iii) देश में सांप्रदायिक सद्भाव से संबंधित समस्याओं की सामान्य जानकारी।</p>	लागू नहीं होता।	सीधी भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।	प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) या आमेलन द्वारा, जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में, वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाएगा।

(11)

प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) या आमेलन:

केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थान या विश्वविद्यालय या अर्ध सरकारी या कानूनी या स्वाशासी संगठन के ऐसे अधिकारी, -

(क)(i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हो; या

(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-5 (29200-92300 रु) या समतुल्य में छह वर्ष की नियमित सेवा की हो; या

(iii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-4 (25500-81100 रु) या समतुल्य में दस वर्ष की नियमित सेवा की हो; और

(ख) जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हो।

टिप्पण 1: प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) या आमेलन द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	ऐसी परिस्थितियां, जिनमें भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है।
(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं:	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है।
1. उप सचिव या निदेशक, गृह मंत्रालय (प्रशासन प्रभारी)	— अध्यक्ष;
2. उप सचिव या निदेशक (सांप्रदायिक सद्भाव प्रकोष्ठ के प्रभारी), गृह मंत्रालय	— सदस्य;
3. अवर सचिव (प्रशा.।), गृह मंत्रालय	— सदस्य; और
4. अवर सचिव (प्राथमिक रूप से किसी अन्य मंत्रालय या विभाग से हो)	—सदस्य।

[फा. सं. ए-35014/12/2020-प्रशा.व]

विश्वजीत कुमार गुप्ता, अवर सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 23rd November, 2023

G.S.R. 184.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Investigator (Communal Harmony Cell) Ministry of Home Affairs, Recruitment Rules, 1984, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Investigator (Communal Harmony Cell) in the Ministry of Home Affairs, namely:—

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Ministry of Home Affairs, Investigator (Communal Harmony Cell) Recruitment Rules, 2023.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and level in pay matrix.— The number of post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.,— The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post, shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualifications.— No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.— Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.— Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of Post.	Number of Posts.	Classification.	Level in the pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.	Age limit for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Investigator (Communal Harmony Cell).	01* (2023) *subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-6 in the pay matrix (Rs. 35400 – 112400).	Not applicable.	Not exceeding thirty years. (Relaxable upto forty years for Departmental candidates in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India and not the closing date prescribed for those residing in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh and the Union territories of Andaman and Nicobar Islands, Ladakh and Lakshadweep.

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(7)	(8)	(9)	(10)
<p>(a) Essential: Bachelor's Degree from a recognised University or Institute.</p> <p>(b) Desirable:</p> <p>(i) Master's or Bachelor's Degree with Sociology or Social Work or Anthropology or Economics or Geography or Mathematics or Statistics from a recognised university or institute;</p> <p>(ii) two years' experience in processing and analysing statistical data in Government departments or two years' experience in conducting socio-economic surveys or studies;</p> <p>(iii) general acquaintance of problems relating to communal harmony in the country.</p>	Not applicable.	Two years for direct recruits.	By deputation (including short-term contract) or absorption failing which by direct recruitment.

In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made.	
(11)	
Deputation (including short-term contract) or absorption: Officers of the Central Government or the State Governments or Union territory administrations or public sector undertaking or recognised research institute or university or semi Government or statutory or autonomous organisation,—	
(a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with six years' regular service in level-5 in the pay matrix (Rs. 29200–92300) or equivalent in the parent cadre or department; or (iii) with ten years' regular service in level-4 in the pay matrix (Rs. 25500–81100) or equivalent in the parent cadre or department; and	
(b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column number (7).	
Note 1: The period of deputation (including short-term contract) including the period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.	
Note 2: The maximum age limit for appointment by deputation (including short-term contract) or absorption shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.	

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its Composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of: <ol style="list-style-type: none"> Deputy Secretary or Director, Ministry of Home Affairs (in-charge of Administration) — Chairman; Deputy Secretary or Director (in-charge of Communal Harmony Cell), Ministry of Home Affairs — Member; Under Secretary (Ad.I), Ministry of Home Affairs — Member; and An Under Secretary (preferably from other Ministry or Department) — Member. 	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

[F. No. A-35014/12/2020-Ad.V]

VISHVAJEET KUMAR GUPTA, Under Secy.

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, 2 नवम्बर, 2023

सा.का.नि. 185.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और "सीरम विज्ञान संस्थान, कोलकाता (वर्ग III और वर्ग IV पद) भर्ती नियम, 1965 को, जहाँ तक उनका संबंध चपरासी, पैकर और सफाईवाला के पदों से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, सीरम विज्ञान संस्थान, कोलकाता में बहु-कार्य कर्मचारीवृंद के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-